


क्षेत्रीय विकास योजना (मसौदा) जोन-डी, नई दिल्ली (दि.मु.यो.-2021 के अनुसार)

(शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 08.02.1988 के दिशानिर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों में यथा निहित लुटियंस बंगला जोन (एलबीजैड) को छोड़कर)



दिल्ली विकास प्राधिकरण

विषय-वस्तु

	पृष्ठ सं.
1.0 पृष्ठभूमि	1
2.0 विशिष्ट विशेषताएं और पहलू	2
3.0 लुटियन्स बंगला जोन (एल.बी.जैड.)	4
4.0 केंद्रीय परिवीथी और वी.आई.पी. मार्ग	5
5.0 क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्ताव	6
6.0 मिश्रित उपयोग	11
7.0 अन्य क्षेत्र / पॉकेट	11
8.0 कार्य केन्द्र	12
9.0 सामुदायिक सुविधाएं एवं सामाजिक आधारिक संरचना	14
10.0 परिवहन	15
11.0 प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना	19
12.0 पर्यावरण	19
13.0 भौतिक संरचना	21
14.0 मुख्य योजना में संशोधन	24
15.0 योजना समीक्षा एवं निगरानी (मॉनीटरिंग)	24

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I : उप क्षेत्रीय योजनाओं की स्थिति

अनुलग्नक-II: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूचीबद्ध 'ज़ोन-डी' में संरक्षित स्मारक

अनुलग्नक-III: अब तक जारी की गई अधिसूचनाओं के आधार पर क्षेत्रीय योजना में किए गए संशोधन । (07.02.2007 से दिसंबर, 2016 तक)

नोट: भाषा में विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

1.0 पृष्ठभूमि

दिनांक 07.02.2007 को अधिसूचित दिल्ली मुख्य योजना-2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 15 जोन में विभाजित करती है जिसमें से 8 जोन शहरी क्षेत्र में (ए से एच), 6 शहरी विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में (जे से एन और पी, आई को छोड़कर) और एक यमुना नदी जोन (ओ) है ।

1.1 अवस्थिति, क्षेत्र और चारदीवारी

जोन 'डी' (नई दिल्ली), 6855 हैक्टेयर (लगभग) का क्षेत्रफल कवर करता है, यमुना नदी और रिज के मध्य स्थित है, इसमें मुख्यतः लुटियंस दिल्ली और इसका विस्तार शामिल है । यह जोन केंद्र में स्थित है, यह उत्तर में ऐतिहासिक शाहजंहानाबाद, पूर्व में यमुना नदी (जोन-ओ), पश्चिम में 1962 से पूर्व की पुनर्वास कालोनियाँ जैसे पहाड़गंज, करोल बाग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पूसा संस्थान और दक्षिण में रिंग रोड से घिरा हुआ है । यह जोन अनेक ऐतिहासिक स्मारकों और महत्वपूर्ण लैंडमार्कों, जो वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, की वजह से अद्वितीय है, जैसे:- राष्ट्रपति भवन, उत्तरी एवं दक्षिणी ब्लॉक, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कार्यालय अपने वृक्षों से हरे-भरे वातावरण के साथ ।

1.2 सांविधिक प्रावधान और उद्देश्य

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 8 में क्षेत्रीय विकास योजना को तैयार करने के साथ-साथ प्रत्येक जोन, जिसमें दिल्ली को विभाजित किया जाएगा, के लिए मुख्य योजना तैयार करने का प्रावधान है । क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्य योजना की नीतियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है और ले-आऊट प्लान तथा मुख्य योजना के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है । तथापि, एक क्षेत्रीय विकास योजना में साइट प्लान और भूमि उपयोग प्लान शामिल होगा जिसके साथ भूमि उपयोगों जैसे:- सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भवन/कार्य केंद्र/उपयोगिताएं, सड़कें, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यापार, मार्किट, स्कूल, अस्पताल, खुले स्थान आदि की अनुमानित अवस्थिति और सीमा भी होगी । दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 10 में क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है ।

क्षेत्रीय विकास योजना का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक जोन (डिवीजन) के लिए एक योजना से है जिसमें सामाजिक आधारिक संरचना, पार्क,

खुले स्थान, परिचालन प्रणाली आदि के संबंध में सूचना शामिल होती है । क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्य योजना में दी गई 9 'भूमि उपयोग' श्रेणियों में निर्धारित जोनों के वास्तविक के साथ-साथ प्रस्तावित उपयोग को दर्शाती है जिसके अनुसार जोन के क्षेत्र को अंतिम रूप से विकसित किया जाएगा । क्षेत्रीय विकास योजना में दर्शाए गए उपयोग, स्वामियों को विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए उनकी संपत्ति/भूमि का उपयोग करने का स्वतः अधिकार नहीं देगा ।

1.3 क्षेत्रीय योजना की अवस्थिति

उप क्षेत्रीय विकास योजनाओं (इससे पूर्व क्षेत्रीय विकास योजना के रूप में ज्ञात) को दि.मु.यो.-1962 (अनुलग्नक-I) के अंतर्गत बनाया गया और उन पर कार्यवाही की गई । जोन 'डी' की क्षेत्रीय योजना (एल.बी.जैड क्षेत्र को छोड़कर) को दि.मु.यो.-2001 के अंतर्गत तैयार किया गया और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.10.1999 को अनुमोदित किया गया ।

दि.मु.यो.-2021, में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अनुमोदित योजनाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार एल.बी.जैड. के विकास की सिफारिश की गई । पहले से अनुमोदित उप-क्षेत्रीय विकास योजनाएं, जिन्हें पहले क्षेत्रीय योजनाओं के रूप में जाना जाता था, जो मुख्य योजना प्रावधानों के अनुरूप है, वो प्रचालन में रहेंगी ।

2.0 विशिष्ट विशेषताएं और पहलू

2.1 नई दिल्ली की योजना सर एडविन लुटियन द्वारा ज्यामितीय पद्धति में त्रिकोणीय आधार पर वर्ष 1916 में बनाई गई थी, जिसके तीन प्रमुख कार्य नामतः व्यावसायिक, सरकारी और मनोरंजनात्मक अपने चरम सीमा पर थे और प्रस्तावित कनॉट प्लेस, सरकारी परिसर (वाइस रायल लॉज/संसद भवन और सचिवालय) और इण्डिया गेट इन प्रमुख कार्यकलापों के संबंधित केंद्र हैं । कनॉट प्लेस की कल्पना नगर के केंद्र के रूप में की गई थी जो पुरानी और नई दिल्ली के भौगोलिक केंद्र में दोनों दिल्ली के बीच कड़ी के रूप में स्थित है । क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोनों स्थानों को रेलवे स्टेशन के समीप रखा गया ।

नई राजधानी को सावधानीपूर्वक 2 प्राकृतिक विशिष्टताओं अर्थात् पूर्व में यमुना नदी और पश्चिम में अरावली श्रेणियों/रिज के बीच बनाया गया और इसकी कल्पना एक उद्यान नगर के रूप में की गई जिसमें वृक्ष की ऊँचाई से कम ऊँचाई वाले भवन हों, प्रतिष्ठित भवनों को छोड़कर । सरकारी परिसर की योजना कनॉट प्लेस

और इण्डिया गेट के दक्षिण पश्चिम में बनाई गई थी और नेशनल स्टेडियम तथा मनोरंजनात्मक कार्यकलाप कनॉट प्लेस के दक्षिणी पूर्वी ओर । इण्डिया गेट और सरकारी परिसर केंद्रीय परिवीथी द्वारा जुड़े हुए हैं जो रिज और यमुना नदी के बीच सुंदर भूदृश्य क्षेत्र है । खुले स्थान वाला यह टुकड़ा डिजाइन और स्मारक कला का अनन्य प्रतीक है । षटकोणीय ग्रिड की व्यवस्था इस प्रकार की गई कि वहाँ से शहर के साथ पुराना किला, जामा मस्जिद, सफदरजंग का मकबरा, फिरोजशाह कोटला, लोधी का मकबरा, हुमायूँ का मकबरा, आदि प्राचीन स्मारकों का दृश्यगत तारतम्य बना रहे ।

सरकारी परिसर और जामा मस्जिद के बीच स्थित भवन कनॉट प्लेस सहित, की ऊँचाई 14.4 मीटर से कम रखी गई ताकि जामा मस्जिद को संसद भवन और कनाट प्लेस से एक अबाधित दृश्य प्राप्त करने के लिए दृश्यात्मक रूप से जोड़ा जा सके ।

- 2.2 बड़े पार्कों और मनोरंजनात्मक सुविधाओं के संबंध में यह जोन अद्वितीय है जिनमें दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नेशनल स्टेडियम, दिल्ली पोलो क्लब, रेस कोर्स, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, प्रगति मैदान (व्यापार मेला मैदान), लोधी गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, महावीर वनस्थली केंद्रीय परिवीथी, नेहरू पार्क, चिड़ियाघर आदि शामिल हैं ।
- 2.3 रामलीला मैदान के समीप प्रमुख सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं एवं मण्डी हाउस के समीप स्थित सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएं पूरे शहर की आवश्यकता को पूरा करती हैं । इसके अतिरिक्त, राष्ट्र स्तरीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, तीन मूर्ति भवन और इन्दिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफोरमिंग आर्ट्स, इंदिरा गांधी मेमोरियल इस जोन में स्थित हैं । यहाँ पर प्रमुख मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अर्थात् मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज, राममनोहर लोहिया अस्पताल और शैक्षिक संस्थान, नामतः लेडी इर्विन कॉलेज, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, माता सुंदरी कॉलेज, दयालसिंह कॉलेज और विभिन्न व्यावसायिक संस्थान जैसे इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर, इण्डिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन आदि यहाँ स्थित हैं ।
- 2.4 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग (धौलपुर हाऊस) तिलक ब्रिज/इन्द्रप्रस्थ मार्ग के समीप सरकारी परिसर, जिसमें केंद्रीय सरकारी कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के कार्यालय भी यहां

स्थित हैं । प्रमुख आवासीय क्षेत्रों में बड़े बंगले, विदेशी मिशन, राज्य अतिथि गृह, सरकारी कॉलोनियां, निजी कॉलोनियां और पुनर्वास कॉलोनियां भी शामिल हैं ।

3.0 लुटियन्स बंगला जोन (एल.बी.जैड.)

शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) भारत सरकार के दिनांक 08.02.1988 के पत्र के द्वारा विकास नियंत्रण मानदण्डों के साथ लुटियन्स बंगला जोन (एल.बी.जैड.) चारदीवारी की रूपरेखा प्रस्तुत की गई । इसके अतिरिक्त एम.ओ.यू.डी. द्वारा पत्र सं. के-13011/31/90-डी.डी.आई.बी. (वॉल्यू-IX) दिनांक 22.12.2003 के द्वारा चारदीवारी की पुनः रूपरेखा तैयार की गई जिसमें शामिल हैं, चारदीवारी के साथ एक प्लॉट के आकार वाले क्षेत्र जो एल.बी.जैड. दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं ।

3.1 बंगला जोन के लिए दि.मु.यो.-2021 प्रावधान:

दिनांक 07.02.2007 को अधिसूचित दिल्ली मुख्य योजना-2021, में अल्प सघन विकास कार्य और लुटियन्स बंगला जोन की विशिष्टता के महत्व को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सिफारिश की गई ।

3.1.1 बंगला क्षेत्र

लुटियन बंगला जोन में बड़े आकार के प्लॉट हैं और बहुत अच्छा निर्मित वातावरण है, जिसमें कम ऊँची संरचनाएं, एवेन्यूज, /विस्टा और व्यापक संख्या में वृक्ष हैं । यह विशेषता एक महत्वपूर्ण मूल्यवान विरासत है, जिसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है । एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर के साथ मिश्रित उपयोग, उच्च सघन विकास कार्य और हरित कवर में कमी की अनुमति नहीं है ।

3.1.2 निर्मित विरासत का संरक्षण

दिल्ली में, निर्मित आकार, रंग, पैमाने और बनावट में विविधता और सौन्दर्यपरक निर्मित आकार के साथ अद्भुत वैविध्य है। विशिष्टताओं, जैसे ऐतिहासिक भवनों और विरासत जोनों, जिन्हें एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है, को उचित रूप से संरक्षित कर उनकी पहचान करके दृश्यात्मक एकीकरण प्राप्त किया जाए जिससे मजबूती, दृश्यात्मक उपयुक्तता और विविधता में वृद्धि हो ।

यह अनिवार्य है कि दिल्ली की निर्मित विरासत को सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित, पोषित, विकसित किए जाने की आवश्यकता है और सतत् मुद्दों पर समझौता किए बिना इसे आगे बढ़ाया जाए । यह सुझाव दिया जाता है कि संरक्षण हेतु नीतियाँ और कार्यनीतियाँ तैयार करने के उद्देश्य के साथ सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा उचित कार्रवाई योजना तैयार की जाए । इसमें, नागरिक और शहरी विरासत,

वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण लैंडमार्क, स्मारक, मेमोरियल और उद्यान, नदी मुहाना सिटी वॉल, गेट, ब्रिज, विस्टाज, सार्वजनिक स्थान, एडिक्ट्स और रिज के संरक्षण को प्रोत्साहन देना शामिल होना चाहिए । दि.मु.यो.-2021 की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- (i) ले-आऊट प्लान्स स्कीमों को तैयार करते समय निर्मित विरासत का उपयुक्त एकीकरण । प्रमुख स्मारकों के मामले में, यह आवश्यक है कि आस-पास के क्षेत्रों की ले-आऊट/विस्तृत योजना में पहचान की जाए और स्मारकों की ऊँचाई, सामग्री और स्थानिक विस्तार के संबंध में भवन नियंत्रक होने चाहिए ।
- (ii) विरासत जोन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें महत्वपूर्ण सकेन्द्रीकरण, लिंकेज अथवा भवनों, संरचनाओं, समूहों अथवा परिसरों की अविच्छिन्नता महत्वपूर्ण है, यह योजना अथवा भौतिक विकास द्वारा ऐतिहासिक रूप से या सौन्दर्यपरकता की दृष्टि से एकीकृत हैं । दि.मु.यो.-2021 में निर्धारित विरासत जोन (क) लुटियन्स बंगला जोन के भीतर और (ख) निजामुद्दीन और हुमायूं मकबरा परिसर के भीतर विशिष्ट विरासत परिसर हैं ।
- (iii) प्रत्येक स्थानीय निकाय/भू-स्वामी एजेंसी को सूचीबद्ध विरासत अहातों और उनके संबंधित क्षेत्रों के संरक्षण और सुधार हेतु “विशिष्ट विकास योजना” तैयार करनी चाहिए । किसी भी सूचीबद्ध विरासत भवन में परिवर्तन अथवा निर्माण ढहाना प्रतिबन्धित है ।

विरासत भवनों, विरासत अहातों और प्राकृतिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों सहित विरासत स्थलों के संरक्षण के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों हेतु विकास योजनाएं/स्कीम, प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए । इस जोन में 52 संरक्षित स्मारक हैं (अनुलग्नक-II) ।

4.1 केंद्रीय परिवीथी और वी.आई.पी. मार्ग

नई दिल्ली की योजना में, केंद्रीय परिवीथी को रिज और यमुना नदी के मध्य निरंतरता बनाने के लिए एक भू-दृश्य भाग के रूप में डिजाइन किया गया । हरित क्षेत्र का यह भाग एक ओर राष्ट्रपति भवन के साथ और दूसरी ओर इण्डिया गेट के साथ एक अद्भूत दृश्य की तरह आकर्षित करता है और यह स्मारकों की भव्यता और स्थान के शहरी डिजाइन गुणवत्ता का एक उत्तम उदाहरण है । केंद्रीय परिवीथी में इसके उत्तर एवं दक्षिण के क्षेत्र, ऐतिहासिक स्मारक, चिड़ियाघर शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण अंग हैं और इन्हें उचित रूप से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है ।

5.0 क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्ताव

5.1 जनसंख्या एवं कार्यबल

जोन की जनसंख्या वृद्धि निम्नानुसार है :

वर्ष	जनसंख्या (व्यक्ति)
2001	5,87,000
2021 (अनुमानित)	8,13,000

इस जोन में कार्य बल मुख्य रूप से सरकारी, निजी क्षेत्र एवं खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। पहले से चले आ रहे अनुमान के अनुसार, आशा है कि वर्ष 2021 तक कार्यबल एवं विजिटिंग कार्यबल की संख्या लगभग 20–25 लाख होगी ।

5.2 भूमि उपयोग

इस जोन में विभिन्न भूमि उपयोगों का वितरण एवं सम्मिश्रण अद्वितीय है, जिसमें लगभग एक तिहाई क्षेत्रफल मनोरंजनात्मक भूमि उपयोग (हरित क्षेत्र) के अंतर्गत आता है और अन्य एक तिहाई क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत आता है । मौजूदा भूमि उपयोगों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशतता
आवासीय	2443.65 हैक्टेयर	35.65
व्यावसायिक	216.10 हैक्टेयर	3.15
विनिर्माण	28.75 हैक्टेयर	0.42
मनोरंजनात्मक	2291.35 हैक्टेयर	33.43
परिवहन	780.78 हैक्टेयर	11.39
उपयोगिता	109.61 हैक्टेयर	1.60
सरकारी	483.43 हैक्टेयर	7.05
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	501.33 हैक्टेयर	7.31
कुल	6855.00 हैक्टेयर	100

5.2.1 आवासीय भूमि उपयोग :

बंगला क्षेत्र में मुख्य रूप से बड़े आकार के प्लॉट, सरकारी आवास क्षेत्र, समूह आवास पॉकेट एवं प्लॉटिड विकास शामिल है । इसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

- (i) सरकारी बंगला ।
- (ii) निजी रूप से पट्टे पर दिए गए बंगले ।
- (iii) समूह आवास ।
- (iv) सरकारी आवास क्षेत्र (काका नगर, बापा नगर) ।
- (v) प्लॉटिड विकास (गोल्फ लिंक, बंगाली मार्केट आदि) ।
- (vi) 1962 पूर्व निर्मित आवासीय एवं पुनर्वास कॉलोनियां ।

5.2.2 बंगला :

केंद्रीय परिदृश्य के दक्षिण में बड़े आकार के बंगला प्लॉट हैं, जिनका उपयोग संसद सदस्यों, मंत्रियों, वरिष्ठ सशस्त्र बल अधिकारियों, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स इत्यादि जैसे सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है । इन बंगलों का निर्माण वास्तुकला की कॉलोनियल शैली के साथ किया गया है, जिसमें ड्राइववे, पोर्श, बरामदा तथा नीची चारदीवारी वाले भूतल क्षेत्र के लगभग 7 प्रतिशत वाले मुख्य भवन की पृथक इकाइयाँ हैं (अब सुरक्षा फेंसिंग के साथ ऊँचा किया गया है) तथा कई आऊट-हाउस हैं । कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर बंगला एक मंजिला हैं, जहां पर दक्षिण/उत्तर एवेन्यू आदि में दो मंजिला भवन अस्तित्व में है । बंगला क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निर्माण की अधिकता तथा उसकी ऊँचाई वृक्षों की ऊँचाई से अधिक नहीं है ।

नई दिल्ली के बंगला जोन में उप जोन डी-3 (कस्तूरबा गांधी मार्ग-पार्ट), डी-4 (संसद मार्ग-पार्ट), डी-6 (रिज क्षेत्र पार्ट), डी-8 (इंडिया गेट), डी-9 (केंद्रीय सचिवालय), डी-10 (रिज क्षेत्र-पार्ट), डी-11 (खान मार्केट पार्ट आदि), डी-12 (अकबर रोड आदि), डी-13 (चाणक्यपुरी-पार्ट), डी-14 (सफदरजंग क्षेत्र-पार्ट) के क्षेत्र शामिल हैं । इसकी सीमाएं धौला कुआँ, ऊपरी रिज रोड, लिंक रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट, तालकटोरा रोड, बिशम्बर दास मार्ग के समानांतर सर्विस लेन, पंडित पंत मार्ग, अशोका रोड, फिरोजशाह रोड, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस की बाउंड्री, भगवानदास रोड, बाराखम्बा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, स्कूल लेन ब्रिज, रेलवे लाइन, तिलक मार्ग, उच्चतम न्यायालय की चारदीवारी, मथुरा रोड, लाला लाजपतराय मार्ग, लोधी रोड, अरबिन्दो मार्ग, रेलवे लाइन, विनय मार्ग, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, नाले के साथ-साथ पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग उसके बाद धौला कुआँ (दिनांक 08.02.88 तथा 07.12.92 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार) तक है ।

5.2.3 लुटियन बंगला जोन के लिए विकास/पुनर्विकास प्रस्ताव :

5.2.3.1 लुटियन बंगला जोन के लिए दि.मु.यो.-2021 के प्रावधान :

- (i) इस जोन में विकास की नीति अनुमोदित योजनाओं और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी लुटियन बंगला जोन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी ।

5.2.3.2 दिनांक 08.02.1988 के पत्र द्वारा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी लुटियन बंगला जोन संबंधी दिशानिर्देश

शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 06.10.1995 के अपने अर्ध-शासकीय पत्र सं. के-13011/31/90-डी.डी.-I बी.(वॉल्यूम-V) द्वारा सूचित किया कि दिनांक 08.02.1988 के मंत्रालय के पत्र सं. 13011/17/86- डी.डी.-IIए. द्वारा दि.वि.प्रा. तथा स्थानीय निकायों को सूचित किए गए लुटियन बंगला जोन के मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । लुटियन बंगला जोन की सीमाओं को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा वर्ष 2003 में पुनः सीमांकित किया गया ।

- (i) लुटियन के बंगला जोन की सीमांकन रेखा प्रसिद्ध मार्गों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो सड़क के एक तरफ बंगले होंगे और दूसरी तरफ ऊँची इमारतें होंगी । इसलिए निर्णय लिया गया है कि लुटियन के बंगला जोन का सीमांकन प्रसिद्ध मार्ग के प्रथम इनर/आउटर रोड के साथ होना चाहिए, जिसके माध्यम से नक्शे में सीमांकन रेखा दर्शायी गई है । तथापि, सीमांकन ऐसे प्रसिद्ध मार्ग से होना चाहिए, जिस मार्ग के दूसरी तरफ पार्क, रिज या हरित क्षेत्र हो ।
- (ii) किसी प्लॉट पर आवास के नए निर्माण का कुर्सी क्षेत्रफल वर्तमान बंगलों के कुर्सी क्षेत्रफल के समान ही होना चाहिए और ऊँचाई उस स्थान के बंगलों की ऊँचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि प्लॉट खाली पड़ा है तो बंगले की ऊँचाई समीपवर्ती प्लॉटों पर निम्नतम ऊँचाई वाले बंगले से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5.4 लुटियन बंगला जोन के बाहर के आवासीय क्षेत्र

5.4.1 सरकारी आवासीय क्षेत्र:

बंगला क्षेत्र में सरकारी आवास के अतिरिक्त इस जोन में अन्य बड़े सरकारी आवासीय पॉकेट स्थित हैं । ये बंगला क्षेत्र हैं— मिंटो रोड़, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्षेत्र का भाग, योजना के भाग के रूप में गोल मार्किट, चाणक्यपुरी, मोती बाग, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, लोधी एस्टेट, सरकारी कर्मचारियों को बसाने वाले अन्य क्षेत्र हैं । रेल की पटरी के साथ-साथ रेलवे क्वार्टर भी विद्यमान हैं । इनमें से अधिकतर क्षेत्र पुनः बसाने के लिए प्रस्तावित हैं, जिनके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था सहित व्यापक पुनर्विकास योजनाएं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जानी है । व्यापक योजना के बिना विकास हेतु खण्डशः कार्रवाई को स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

5.4.2 आवासीय प्लॉट-प्लॉटिड आवास :

लुटियन बंगला जोन के बाहर आवासीय प्लॉटिड विकास को अपेक्षित सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान सहित दि.मु.यो.-2021 के मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा ।

5.4.3 आवासीय प्लॉट-समूह आवास

लुटियन बंगला जोन के बाहर आवासीय-समूह आवास को अपेक्षित सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान सहित दि.मु.यो.-2021 के मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा ।

5.4.4 उपयोग जोन आर.एफ.-विदेशी मिशन

उपयोग जोन आर.एफ.-विदेशी मिशन राष्ट्रपति भवन के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भली-भांति नियोजित किया गया है, जहां विभिन्न विदेशी मिशन वनीय और भव्य वातावरण में स्थित हैं । दिल्ली मुख्य योजना-2021 के मानक विदेशी मिशन पर लागू होते हैं और शहरी डिजाइन अध्ययनों पर आधारित हैं, जो इस उप जोन के रमणीय उद्यान नगर के स्वरूप को बनाए रखने के लिए उपयोग जोन आर.एफ.-विदेशी मिशन में अपनाए जाने चाहिए ।

5.4.5 1962 पूर्व निर्मित आवासीय एवं पुनर्वास कॉलोनियाँ

देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विस्थापित व्यक्तियों के लिए इस जोन में विभिन्न पुनर्वास कॉलोनियाँ विकसित की गई थी । यह सिफारिश की गई कि दि.मु.यो.-2021 के मानदंडों के आधार पर इन क्षेत्रों के लिए एक स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार की जानी चाहिए और जहाँ भी आवश्यक हो, संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा आधारिक संरचना के संवर्धन का कार्य शुरू किया जाना चाहिए ।

5.4.6 गाँव

इस जोन में कोटला मुबारकपुर, पिलजी, सराय काले खाँ, निजामुद्दीन आदि जैसे कुछ शहरीकृत गाँव मौजूद हैं । दि.मु.यो.-2021 प्रावधानों के अनुसार आबादी को उत्तम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने, मिश्रित उपयोग को विनयमित करने और आस-पास के क्षेत्रों के साथ एकीकरण के प्रावधानों के लक्ष्य के साथ इन गाँवों के लिए संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा पुनर्विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ।

5.4.7 पुनर्वास क्षेत्र

अमृतपुरी, सनलाइट कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, पंत नगर आदि जैसे कुछ निम्न स्तरीय क्षेत्र हैं, जिनके लिए दि.मु.यो.-2021 के प्रावधानों के आधार पर संबंधित स्थानीय निकाय/भू-स्वामित्व एजेंसी द्वारा पुनर्विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ।

5.5 शहरी डिजाइन

दि.मु.यो.-2021 के मानदंडों के आधार पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निम्नलिखित मार्गों के साथ एक प्लॉट की गहराई की सीमा तक प्लॉटों के लिए शहरी डिजाइन योजना तैयार की जाए ।

(क) गणतंत्र दिवस परेड मार्ग इस जोन का भाग है ।

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे और राजघाट के लिए वी.आई.पी. मार्ग इस जोन का हिस्सा है ।

दिल्ली के लिए दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा किए गए चित्र अध्ययन का संदर्भ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजनाओं को तैयार करते समय लिया जा सकता है ।

6.0 मिश्रित उपयोग

दि.मु.यो.-2021 के अनुसार लुटियन बंगला जोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों के सांस्थानिक स्टाफ/आवास और सूचीबद्ध विरासत इमारतों/क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग की अनुमति नहीं है। हालांकि दि.मु.यो.-2021 के प्रावधानों के अनुसार लुटियन बंगला जोन के बाहर आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग की अनुमति है। कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों में अनुमेय मिश्रित उपयोग की सीमा दि. मु.यो.-2021 के अनुसार होगी। मिश्रित उपयोग स्ट्रीट (जिनमें स्थानीय व्यावसायिक स्ट्रीट शामिल हैं) का निर्धारण/अधिसूचित विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के दायरे में किया जाता है।

7.0 अन्य क्षेत्र/पॉकेट

7.1 रिज और पुनः वृक्षारोपण :

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला में उभरी चट्टानें आती हैं, जो उत्तर में दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू होकर दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा और इसके विस्तृत क्षेत्रों तक फैली है, जो परवर्ती मुख्य योजनाओं में रिज/क्षेत्रीय पार्क के रूप में फैली हुई हैं। यह एक लगातार क्रम में नहीं है, क्योंकि मध्यवर्ती विभिन्न हिस्सों में काफी समय से शहरीकरण हुआ है। केन्द्रीय रिज में लगभग 864 हैक्टेयर क्षेत्र आता है, जो इस जोन का एक भाग है, जिसका अमिट प्रतिष्ठा के रूप में रख-रखाव किया जाएगा और वहां बिलबोर्ड, होर्डिंग आदि की भी अनुमति नहीं होगी। इसे वन क्षेत्र के रूप में संरक्षित एवं विकसित किया जाएगा और वहां किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नई दिल्ली में वृक्षों का पुनः वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि विद्यमान अधिकांश वृक्षों की आयु पूरी हो चुकी है। इसलिए इसका कार्य रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा तेजी से समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

7.2 सड़क किनारे वृक्षारोपण, स्ट्रीट-फर्नीचर एवं भू-दृश्य पुनरुद्धार :

नई दिल्ली क्षेत्र अपने छायादार वृक्षों के मार्गों के रूप में अनुपम है, इसलिए यहाँ चरणबद्ध तरीके से देसी किस्म के नए, वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित स्थानीय निकायों, द्वारा समयबद्ध तरीके से स्ट्रीट फर्नीचर, परिवहन प्रणाली, आधारीक संरचना आदि का कार्य किया जाएगा।

बंगला प्लॉट के अंदर वृक्षारोपण/पुनः वृक्षारोपण का कार्य विद्यमान हरित क्षेत्र के तालमेल के अनुरूप किया जाएगा। वृक्षारोपित/पुनः वृक्षारोपित किए जाने वाले वृक्षों का कार्य राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता के अनुसार, प्रत्येक हैक्टेयर में एक सौ वृक्ष

की दर के अनुसार किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा नई दिल्ली के लिए भू-दृश्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यमान वृक्षों की आयु 15 से 20 वर्षों से अधिक की नहीं होगी।

7.8 सरकारी कार्यालय एवं सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

इस जोन में, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों, दिल्ली सरकार के कार्यालयों और स्थानीय निकायों इत्यादि के कार्यालयों की सघनता है, जो मुख्य रूप से (कनॉट प्लेस एवं एक्सटेंशन), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट (संसद मार्ग क्षेत्र), डी-9 केन्द्रीय परिवीथी (सेंट्रल विस्टा) आदि में स्थित हैं। अधिकांश कार्यालय स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद स्थापित किए गए थे। इन कार्यालयों के बड़े क्षेत्र अभी उपयोग में लाए जाते हैं। सरकारी रोजगार के उचित अनुमान के कारण, इन वर्तमान सरकारी कार्यालयों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इन कार्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार पार्किंग और अन्य संबंधित सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

8.0 कार्य केन्द्र

इस जोन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य केन्द्र स्थित हैं :-

- (i) कनॉट प्लेस एवं एक्सटेंशन (डी-1)
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय क्षेत्र (डी-8 एवं 9)
- (iii) सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स (डी-16)
- (iv) आई.एन.ए. स्थित प्रस्तावित कार्यालय परिसर (डी-15)
- (v) मोतीबाग स्थित प्रस्तावित कार्यालय परिसर (डी-21)
- (vi) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट कार्यालय परिसर (डी-2)
- (vii) अन्य क्षेत्र जैसे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लोधी रोड़, खान मार्किट, जिला केन्द्र, उप जिला केन्द्र अश्रुखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र आदि।

8.1 व्यापार एवं वाणिज्य

(क) मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर :

कनॉट सर्कस के विद्यमान शहरी डिजाइन और इसके विस्तार क्षेत्र में बनी हुई बहुमंजिला इमारतों के सामंजस्य के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर का विकास निर्दिष्ट है, जो दृष्टिगत रूप से एकीकरण लाने के लिए है।

मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर में कनॉट प्लेस एवं एक्सटेंशन (जनपथ, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड़, बाराखम्बा मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग) गोल मार्किट, मण्डी हाउस, प्रगति मैदान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट क्षेत्र शामिल हैं। इसके विकास के लिए शहरी डिजाइन, भू-दृश्य, यातायात एवं परिवहन, साइकिल ट्रैक्स, सुरक्षित पैदल पथ, पार्किंग क्षेत्र, मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र आदि को शामिल करते हुए एक समन्वित योजना तैयार की जाएगी।

प्रस्तावों/स्कीमों निम्नलिखित शामिल हैं :

- i) एम.आर.टी.एस. स्टेशन, साइकिल ट्रैक, सुरक्षित पैदल पथ, पार्किंग क्षेत्र, मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों इत्यादि को समाविष्ट करते हुए विस्तृत शहरी डिजाइन और भूदृश्य स्कीमें तैयार की जानी है।
- ii) सिटी सेंटर में आवागमन को बढ़ाने के लिए मध्यम श्रेणी के सार्वजनिक परिवहन जैसे मोनोरेल, बैट्री चालित/उच्च क्षमता वाली बसें और स्काई बसें शुरू की जानी है।
- iii) कार्यालय समय के बाद गैलरी, ओपन एयर थियेटर, अम्यूजमेंट पार्क देखने, मिनी गोल्फ कोर्स/खेल गतिविधियां, फूड कोर्ट इत्यादि गतिविधियों को उचित रूप से डिजाइन और कार्यान्वित किया जाए और इन्हें अधिक जगह वाला और अधिक आकर्षक बनाया जाए।
- iv) कनॉट सर्कस-कनॉट प्लेस में भवनों के आकार-प्रकार, एफ.ए.आर. वास्तुशिल्पीय विशेषताओं को यथावत बनाए रखना चाहिए।
- v) पैदल यात्रियों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैदल-पथ की चौड़ाई, सतह की मरम्मत, कर्ब-कट्स, वृक्ष और स्ट्रीट फर्नीचर जैसी विशेषताओं को यथावत बनाए रखा जाए।
- vi) नए भवनों (विशेष रूप से व्यावसायिक अथवा सांस्थानिक प्रकृति के) ट्रैफिक सिग्नल्स और सार्वजनिक साइनेज इत्यादि के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ख) समाज सदन (छह-29.46 हैक्टेयर)

ये समाज सदन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, गोल मार्किट, खान मार्किट, मालचा मार्ग (चाणक्यपुरी), यशवंत प्लेस (चाणक्यपुरी) और कोटला मुबारकपुर में अवस्थित हैं। कोटला मुबारकपुर और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के सामुदायिक केन्द्रों को अभी विकसित किया जाना है, जबकि अन्य शेष विद्यमान हैं।

(ग) अश्रंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र (आठ-29.8 हैक्टेयर)

ये अश्रंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र सेन्ट्रल मार्किट (लाजपत नगर), लक्ष्मीबाई नगर, आई.एन.ए. मार्किट, पालिका बाजार (कनॉट प्लेस), स्टेट एम्पोरिया, सेन नर्सिंग होम, प्रेस एरिया (बहादुर शाह जफर मार्ग) और सरोजिनी नगर मार्किट हैं।

8.2 उद्योग

इस जोन में जंगपुरा स्थित विद्यमान हिन्दुस्तान प्रीफैब को छोड़कर कोई प्रमुख उद्योग नहीं है, जिसे क्षेत्रीय विकास योजना में दर्शाया गया है।

9.0 सामुदायिक सुविधाएं एवं सामाजिक आधारिक संरचना

इस जोन में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं आदि का प्रबंध नगर के लिए किया जाता है। हालांकि जैसा कि दर्शाया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सुविधाओं में यदि कोई कमी होती है, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात् नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना बनाते समय उसका ध्यान रखा जाएगा।

इस जोन की कुल अनुमानित जनसंख्या 8,13,000 व्यक्ति हैं। इसमें मैट्रोपॉलिटन सिटी सेन्टर, रिज, सेन्ट्रल विस्टा, सफदरजंग हवाई अड्डा और सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड क्षेत्र की किसी आबादी को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

सार्वजनिक बैठकों/सामाजिक समारोह के लिए पोडियम आदि सहित बहुउद्देश्यीय मैदानों की व्यवस्था स्थानीय एजेंसी/एल.एण्ड डी.ओ., नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाएगी तथा इस उद्देश्य के लिए स्थानों का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार करते समय किया जाएगा। दि.मु.यो.-2021 के अनुसार, पुनर्विकास योजना में विभिन्न सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9.1 खेल सुविधाएं

जोन 'डी' में राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण खेल केन्द्र समाविष्ट हैं जैसे नेशनल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम और डॉ0 अम्बेडकर स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम आदि। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए खेल आधारिक संरचना के भाग के रूप में इन सभी में सुधार कार्य किया

गया/इन्हें पुनः विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त, इस जोन में अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे दिल्ली फ्लाइंग क्लब, पोलो ग्राउंड आदि।

9.2 संचार

माइक्रोवेव रूट, जो रेलवे/संचार एजेंसियों को टेलीकम्यूनीकेशन नेटवर्क से जोड़ते हैं, इस जोन से जाते हैं। रूट की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि जो माइक्रोवेव की रेखा में पड़ने वाली भवन की अधिकतम ऊंचाई से न टकराए।

9.3 सुरक्षा एवं बचाव

इस जोन का मुख्य भाग वी.आई.पी. क्षेत्र के अंदर है, जहाँ सुरक्षा मुख्य विषय है, जिसके लिए विशेष आधारीक संरचना का प्रावधान अपेक्षित है। दि.मु.यो.-2021 के मानदंडों के अनुसार इस जोन में चार पुलिस स्टेशनों और छह अग्निशमन स्टेशनों की आवश्यकता है।

9.4 आपदा प्रबंधन

दि.मु.यो.-2021 के अनुसार दिल्ली अग्निशमन सेवाएं आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते नगर में कठिन पहुंच के साथ-साथ अधिक आबादी वाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रों को अभिचिह्नित करे एवं उपयुक्त समाधानों का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। जोन 'डी' में किसी अग्निशमन स्टेशन में एक आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे वरीयता के रूप में कनॉट प्लेस अग्निशमन स्टेशन के उन्नयन द्वारा किया जा सकता है।

10.0 परिवहन नेटवर्क

10.1 मेट्रो कॉरिडोर

इस जोन से निम्नलिखित मेट्रो कॉरिडोर हो कर (विद्यमान एवं प्रस्तावित) गुजरते हैं –

- (i) गुड़गांव से बादली।
- (ii) द्वारका से नोएडा/आनन्द विहार।
- (iii) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई.जी.आई. एयरपोर्ट।
- (iv) बदरपुर से कश्मीरी गेट।
- (v) मुकुन्दपुर से यमुना विहार।

दि.मु.यो.-2021 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर एम.आई.टी.एस. कॉरिडोर के साथ प्रभावित जोन के पुनर्विकास हेतु योजना तैयार की जाएगी, जिसमें एफ.ए.आर. की वृद्धि में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल नहीं है।

- i) लुटियन्स बंगलो ज़ोन, चाणक्यपुरी, डी आई जेड क्षेत्र और माता सुन्दरी क्षेत्र।
- ii) स्मारक विनियामक ज़ोन (ए एस आई दिशानिर्देशों के अनुसार)।
- iii) वृहद व्यावसायिक योजनाएं।

10.2 सड़कों की श्रंखला

क्षेत्रीय विकास योजना में 24 मी. सड़कों और उससे अधिक के मार्गाधिकार की सड़कों को दर्शाया गया है। ट्रैफिक को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रस्तावित मुख्य सड़कों की श्रंखलाबद्ध प्रणाली नीचे दी गई है :-

- क) 90 मी. मार्गाधिकार : रिंग रोड
- ख) 60 से 64 मी. मार्गाधिकार : रिंग रोड, सरकार पटेल मार्ग (भाग), पार्क स्ट्रीट, ताल कटोरा रोड, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, पुराना किला स्ट्रीट, अरविन्दो मार्ग, साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू।
- ग) 45 मी. मार्गाधिकार : अपर रिज रोड, सरकार पटेल मार्ग (भाग) मदर टेरेसा क्रिसेंट, शान्ति पथ, विनय मार्ग, डुप्लेक्स रोड, मौलाना आजाद रोड, पृथ्वीराज रोड, पंचकुइयां रोड, बाबा खडक सिंह मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ, कस्तूरबा गांधी मार्ग, बाराखम्बा रोड, फिरोजशाह रोड और डा. जाकिर हुसैन रोड ।
- घ) 30 मी. से 38 मी. मार्गाधिकार : कॉपरनिक्स मार्ग, रफी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, अशोका रोड, जयसिंह रोड, चर्च रोड, हुंमायू रोड, कार्नवालिस रोड, औरंगेजब रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, मोती लाल नेहरू मार्ग, मंदिर मार्ग, टॉलस्टाय मार्ग, आसफ अली रोड, मिन्टो रोड, त्यागराज मार्ग, सत्य मार्ग और चन्द्रगुप्त मार्ग।
- ड) 24 मी. से 27 मी. मार्गाधिकार : शहीद भगत सिंह मार्ग, अपर रिज रोड (भाग), जोरबाग रोड, पंडारा रोड, गोल्फ कोर्स रोड, राजपथ और जंतर मंतर रोड।

10.3 शहरी राहत सड़क (यू.आर.आर.)

विद्यमान सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए, दि.मु.यो.-2021 अतिरिक्त/वैकल्पिक लिंक और पहुंच कॉरिडोर को निर्धारित करने की सिफारिश करता है। ऐसे लिंकों को यू.आर.आर. के रूप में कहा गया है, जिनको व्यवहार्यता की शर्त पर, नालों के साथ-साथ (उनके ऊपर सहित), नए संरेखण का निर्धारण, अथवा मौजूदा सड़कों के उन्नत मजबूती/संरेखण अथवा सड़को/ग्रेड सेपरेटर्स आदि सहित प्रस्तावित किया जाए। इस प्रकार की एक एलीवेटेड लिंक रोड नाले

के साथ, सराय काले खां से शुरू होकर आई.एन.ए. मार्किट तक, अरविन्दो मार्ग से मिलने वाली सड़क का पहले से ही निर्माण किया जा चुका है। सुचारु परिवहन संचलन के लिए जोन में ऐसी और सड़कें निर्धारित की जाएगी।

10.4 मेट्रोपॉलिटन यात्री टर्मिनल एवं आई.एस.बी.टी.

- (i) मेट्रोपॉलिटन यात्री टर्मिनल (एमपीटी) हजरत निजामुद्दीन (दक्षिण पश्चिमी दिल्ली) में प्रस्तावित है।
- (ii) सराय काले खां में मौजूदा आई एस बी टी बस टर्मिनल को उन्नत रूप दिया जाना चाहिए और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाना चाहिए।

10.5 साइकिल पथ एवं पैदल पथ कॉरिडोर :

सुरक्षा हेतु, पैदल ट्रैफिक के मार्गीकरण और साइकिल सवारों तथा पैदल पथ ट्रैफिक के पृथक्करण का प्रस्ताव किया गया है। तीन साइकिल पथ आंशिक रूप से इस जोन में आते हैं क) इनमें से एक साइकिल ट्रैक नाले के साथ-साथ चिराग दिल्ली को डिफेंस कॉलोनी से जोड़ता है और मथुरा रोड़ के साथ-साथ इन्द्रप्रस्थ एस्टेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स को जाता है ख) दूसरा साइकिल ट्रैक जो आई.टी.ओ. ब्रिज (पुल) के साथ-साथ यमुना पार क्षेत्र से आता है, कनॉट प्लेस को जोड़ता है आगे पंचकुइयां रोड में मिल जाता है, ग) तीसरा साइकिल ट्रैक, कुशक नाले से होकर ताल कटोरा स्टेडियम और मथुरा रोड को जोड़ता है।

10.6 पैदल आवाजाही

पैदल आवाजाही स्ट्रीट फर्नीचर सहित सतहों को भली-भांति सुधारते हुए, हरित क्षेत्रों से प्रस्तावित है। पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी चौराहों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों जैसे – प्रगति मैदान, पुराना किला और चिड़ियाघर के बीच की सड़क महत्वपूर्ण बस स्टैन्ड और मेट्रो परिवहन प्रणाली तथा रेलवे स्टेशनों के बीच में भूमिगत मार्गों की व्यवस्था होगी।

10.7 बस परिवहन

बस कनेक्टिविटी को मेट्रो रेल स्टेशनों और रिंग रेल प्रणाली तक फीडर सेवाओं के रूप में नियोजित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बस टर्मिनलों में पार्क एण्ड राइड सुविधा को विकसित किया जाएगा। जोन के अंदर सराय काले खां में मौजूदा बस टर्मिनल को उन्नत किया जाएगा और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जोड़ा जाएगा।

10.8 पार्किंग

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के मानकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विकास हेतु पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जे.एल.एन. स्टेडियम, स्टेट एम्पोरिया के समीप बाबा खडग सिंह मार्ग, प्रगति मैदान के सामने भैरों रोड पर आदि में पार्किंग क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित पार्किंग क्षेत्रों का विकास किया जाना प्रस्तावित है :-

- i. बाराखम्बा रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग के मध्य (डी-1)
- ii. जनपथ और कस्तूरबा गांधी मार्ग के मध्य (डी-1)
- iii. कमला मार्केट के समीप भूमिगत पार्किंग (डी-2)
- iv. तुर्कमान गेट के समीप भूमिगत पार्किंग (डी-2)
- v. मंदिर मार्ग (डी-5)

दि.मु.यो.-2021 के अनुसार निम्नलिखित बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल प्रस्तावित है और इस सूची का आगे भी विस्तार किया जा सकता है।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र

- (i) बाबा खडग सिंह मार्ग (निर्माण के अधीन)
- (ii) हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के पीछे, कस्तूरबा गांधी मार्ग
- (iii) सरोजिनी नगर (निर्मित और परिचालन में)

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र

- i) लाजपत नगर
- ii) बहादुर शाह जफर मार्ग
- iii) साउथ एक्सटेंशन भाग-1
- iv) रामलीला मैदान

केंद्रीय व्यापार जिला (सी.बी.डी.) सहित नियोजित व्यावसायिक केन्द्रों में स्थित मुख्य पार्किंग क्षेत्रों को नगरपालिका के अधिकार में करने का प्रस्ताव है। मेट्रो स्टेशनों और जोन में अन्य महत्वपूर्ण परिवहन मोड़ों के अंदर और बाहर चारों ओर पार्किंग क्षेत्रों को भी नगरपालिका के अधिकार में किया जाना है।

एम.सी.सी. क्षेत्र (कनॉट प्लेस और विस्तार) में पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए, यह निर्धारित किया गया कि बाराखम्बा रोड़ (45 मी.) और कस्तूरबा गांधी मार्ग (45 मी.) के मार्गाधिकार और दोनों ओर 15.6 मी. स्थान आरक्षित किया जाए जिससे लगभग 4000 कारें पार्क करने के लिए जगह बनेगी।

10.9 ईंधन स्टेशन (पेट्रोल/सीएनजी)

ईंधन स्टेशन न्यूनतम 30 मी. मार्गाधिकार की सड़क पर अवस्थित किए जाएंगे। ईंधन स्टेशनों के विकास नियंत्रण मानक दि.मु.यो.-2021 के अनुसार होंगे।

11.0 प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना

दिल्ली मुख्य योजना-2021 ढांचे पर आधारित, निम्नलिखित तालिका के अनुसार, क्षेत्रीय विकास योजना भूमि उपयोग :

प्रस्तावित भूमि उपयोग विश्लेषण – ज़ोनल योजना स्तर

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आवासीय	2321.93	33.67
व्यावसायिक	208.54	3.06
विनिर्माण	21.07	0.30
मनोरंजनात्मक	2127.52	31.00
परिवहन	883.03	12.88
उपयोगिता	225.35	3.28
सरकारी	380.21	5.54
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	704.36	10.27
	6855	100.00

टिप्पणी : भूमि उपयोगों के सभी अनुमोदित परिवर्तन जिन्हें दिसम्बर, 2016 तक अधिसूचित किया जा चुका है, को समाविष्ट किया गया है और परिशिष्ट III के रूप में तालिकाबद्ध किया गया है तथा परिशिष्ट IV के रूप में भूमि उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, हुंमायू गुम्बज, नई दिल्ली के समीप सुंदर नर्सरी के संबंध में खेती/हरित पट्टी एवं जल निकाय (प्लान्ट नर्सरी) से मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) तक 17.0 हैक्टेयर माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग का परिवर्तन एस.ओ. 1990 (ई) दिनांक 26/05/2016 के अनुसार अधिसूचित किया गया।

12.0 पर्यावरण

रिज का भाग जो अरावली पहाड़ी का चट्टानी दृश्यांश है, इस ज़ोन में आता है और इसे अपने प्राचीन गौरव में रक्षित और सुरक्षित किया जाना है और वन के रूप में विकसित किया जाना है।

यह जोन अद्वितीय है क्योंकि यहां बड़े पार्क और मनोरंजनात्मक सुविधाएं हैं जिसमें लोधी गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, नेहरू पार्क, प्राणी उद्यान गार्डन आदि शामिल हैं। राजपथ के दक्षिण-उत्तर में साढ़े तीन किमी. लम्बी खुली पट्टी इस जोन का

केन्द्रीय भाग है, जिसे केन्द्रीय परिवीथी का नाम दिया गया है। लगभग सौ हैक्टेयर का क्षेत्र समीपवर्ती पार्कों के लिए गैर-बंगला ज़ोन के लिए अपेक्षित है, जबकि ज़ोनल योजना में लगभग 81 हैक्टेयर भूमि समीपवर्ती पार्कों के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। चूंकि इस ज़ोन के क्षेत्र में क्षेत्रीय और जिला पार्क उच्च प्रतिशत में हैं, जिसकी आवश्यकता पूरी कर ली गई है। व्यापक खुले स्थानों और मनोजनात्मक क्षेत्रों की उपलब्धता के कारण, इस ज़ोन में प्रदूषण क्षेत्र नहीं है।

बारापुला नाला, खुश्क नाला, सेन नर्सिंग होम नाला, दिल्ली गेट नाला, महारानी बाग नाला आदि को हरित कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और प्रदूषण को न्यूनतम किया जाना चाहिए। जहां व्यवहार्य हो, वहां पार्किंग उपयोग, पैदलपथ लिंकेज के लिए नालों को ढकने की खोज उचित भूदृश्यांकन और सौंदर्यीकरण योजना के साथ की जाए। संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि लोगों को नालों में कूड़ा फेंकने के लिए हतोत्साहित किया जाए। नालों की नियमित सफाई (गाद हटाना) भी किया जाना चाहिए ताकि नालों के ओवरफलों को नियंत्रित किया जा सके।

इस ज़ोन का भाग यमुना नदी के सम्मुख है और इसलिए संबंधित एजेंसियों द्वारा मनोरंजनात्मक/हरित विकास किया जाएगा।

इस ज़ोन में अनुमानतः लगभग 450 टन कचरा/ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन निकलता है। इस ज़ोन में कोई नई सैनेट्री लैंडफिल साइट की पहचान नहीं की गई है।

12.1 शोर/ध्वनि

इस ज़ोन से कई रेलवे लाइन होकर गुजरती है और यह प्रस्तावित है कि पतली पत्तियों के पेड़, भूमि की बनावट, पहाड़ी, तटबंध इत्यादि द्वारा हरित बफर तैयार किया जाएगा ताकि समीपस्थ स्थानों/क्षेत्रों में होने वाले शोर को कम किया जा सके।

हॉर्न वर्जित क्षेत्र :

“हॉर्न वर्जित क्षेत्र” वी.आई.पी. क्षेत्रों, अस्पतालों शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों के पास व्यक्तियों को बड़ी संख्या में हो रही परेशानी को कम करने के लिए बनाए जाएंगे। सड़क और फुटपाथों के डिजाइन और ऊपरी सामग्री भी शोर की कमी को सुनिश्चित करेगी। संबंधित प्राधिकरण को क्षेत्रवार शोर निगरानी और नियंत्रण योजना (एन.एम.सी.पी.) बनानी होगी।

12.2 जलाशय

“दिल्ली मुख्य योजना-2021” के अनुसार न्यूनतम 1 हैक्टेयर तल क्षेत्रफल वाले जलाशयों का संरक्षण संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त छोटे जलाशयों के रख-रखाव के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे । दिल्ली नगर निगम की सूची के अनुसार दो तालाब (क) जू लेक (लगभग 5 हैक्टेयर) (ख) प्रगति मैदान (लगभग 0.63 हैक्टेयर) इस जोन में आते हैं ।

13.0 भौतिक संरचना :

13.1 जलापूर्ति

दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) द्वारा एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों को मीटर कनेक्शन के माध्यम से 115 एम.एल.डी. पानी की आपूर्ति की जाती है । इसके अतिरिक्त, 90 चालू ट्यूब वेलों के माध्यम से भू-जल को निकाला जाता है, जिससे 10 एम.एल.डी. पानी प्राप्त होता है। जो यह दर्शाता है कि वर्तमान आवासीय जनसंख्या के लिए जलापूर्ति पर्याप्त से अधिक है । तथापि, इस अनुमान में एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में आने और जाने वाली परिवर्तनशील जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है । एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों के लिए तीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए पानी की मांग के अनुमान के आकलन में बड़ी मात्रा में अंतर पाया गया जिसे क्षेत्रों में परिवर्तनशील जनसंख्या के संबंध में पर्याप्त सूचना की कमी के कारण माना जा सकता है ।

क्षेत्रों में 130 एम.एल.डी. जलापूर्ति अर्थात् 9.327 घंटा औसतन आपूर्ति के लिए उपलब्ध कुल भूमिगत जल संचयन 50.52 एम.एल.डी. है ।

13.2 सीवरेज

सभी स्रोतों से उपलब्ध जलापूर्ति (130एम.एल.डी.) के लिए आपूर्ति किए गए जल के 80 प्रतिशत के अनुसार सीवेज की मात्रा 104 एम.एल.डी. है । जैसा ऊपर वर्णित है, यह अनुमान क्षेत्र में परिवर्तनशील जनसंख्या के कारण सही ढंग से आकलित नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त, इस गणना में निकाले गए निजी भू-जल को भी शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार इस अपशिष्ट पानी की मात्रा अनुमान से ज्यादा हो गई है ।

सीवरेज और सफाई में सुधार के लिए सतही निकासी और सीवरेज प्रणाली को एक एकीकृत ढंग में विकसित किया जाएगा । सीवेज से ईंधन के रूप में ऊर्जा/गैस उत्पन्न करने की संभावनाओं की तलाश की जाएगी । पृथक-पृथक परिवारों द्वारा कम लागत की सफाई प्रणाली को अल्प-अवधि के रूप में अपनाया जा सकता है ।

13.3 जल-निकासी/ड्रेनेज

इस जोन में पूर्णतः भूमिगत सीवरेज है । तथापि, सुझाव है कि शहरी नवीकरण हेतु प्रस्तावित पुराने क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाया जाए ।

इस जोन के अंतर्गत कई मुख्य नाले हैं जो निम्न प्रकार से हैं ।

1. बारापुला नाला
2. दिल्ली हाट के नीचे कृषक नाला ड्रेन
3. सेन नर्सिंग होम
4. दिल्ली गेट ड्रेन
5. महारानी बाग ड्रेन

इन नालों के साथ-साथ ग्रीन कॉरिडोरों को बनाकर जल की सफाई की स्कीमें संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा बनाई जाएंगी । उचित ड्रेनेज (जल निकासी) के लिए अपनाए जाने वाले अन्य उपाय निम्नलिखित हैं :

- (i) जल निकासी (ड्रेनेज) सड़क विकास योजनाओं/फ्लाईओवर/ग्रेड सेपरेटरों का महत्वपूर्ण भाग होगा ।
- (ii) एक उचित डाटाबेस तैयार किया जाएगा और जी.आई.एस. आधारित ड्रेनेज मैपिंग पुनः चालू की जाएगी ।
- (iii) फ्लाईओवरों के नीचे बरसाती जल इकट्ठा करने के लिए छोटे कुंओं (सब-वैल) को विकसित करने की जरूरत है ।
- (iv) निचले क्षेत्रों में बैक-अप पॉवर के साथ पम्प हाउस उपलब्ध कराए जाएंगे ।
- (v) प्रतिकूल-प्रवाह (अपस्ट्रीम फ्लो) पर विचार करते हुए चयनित नालों को पुनः बनाया (रि-मॉडलिंग)जाएगा ।

13.5 ठोस अपशिष्ट

एन.डी.एम.सी. के अनुसार, क्षेत्र से प्रतिदिन 400 टन म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एम.एस. डब्ल्यू.) निकलता है जिसमें म्यूनिसिपल कचरा, उद्यान अपशिष्ट और

निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकला मलबा शामिल है । दि.मु.यो.-2021 के अनुसार, 2001 में कुल ठोस अपशिष्ट 245 टन प्रतिदिन था जबकि 2021 में प्रतिदिन 550 टन म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट निकलने का अनुमान है ।

इसके अतिरिक्त, वर्मीकल्चर, फॉसिलाइजेशन, कम्पोस्टिंग इत्यादि जैसे भूमि भराव के लिए कुछ अन्य व्यवहार्य विकल्प अपशिष्ट को कम करने वाले चक्र (डब्ल्यू.एम.सी.) होंगे, जिन्हें बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा । सैनेट्री भूमि भराव स्थलों में, जहाँ भी संभव होगा, अपशिष्टों के निपटान की तुलना में पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाएगी ।

13.5 बिजली / विद्युत

दिल्ली मुख्य योजना-2021 मानदंडों के अनुसार, इस जोन के लिए 66 के.वी. के 14 और 220 के.वी. के एक विद्युत सब-स्टेशन की आवश्यकता है । इनमें से अधिकतर पहले से ही मौजूद हैं । इस जोन में शहरी डिजाइन महत्व को ध्यान में रखते हुए ओवर हेड केबल की अनुमति नहीं होगी । एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति निम्नलिखित केंद्रों: आई.पी. पॉवर स्टेशन; जी.टी. स्टेशन; 220 के.वी. पार्क स्ट्रीट सब-स्टेशन; किलोकरी ग्रिड सब-स्टेशन; से दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी.टी.एल.) के द्वारा प्राप्त होती है । एन.डी.एम.सी. का विद्युत विभाग क्षेत्र में विद्युत के वितरण का काम देखता है ।

ऊर्जा दक्षता के लिए निम्नलिखित सूक्ष्म क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा :

- (i) ऊर्जा दक्षता की संकल्पना को शून्य जीवाश्म ऊर्जा विकास (जैड.ई.डी.) के विचार को ध्यान में रखकर शुरू करना होगा ।
- (ii) गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे सीवेज, सौर ऊर्जा इत्यादि से बनायी जाने वाली ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक स्थानों, खुले स्थानों ट्रैफिक सिग्नलों, होर्डिंग इत्यादि पर प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाएगा ।
- (iii) लाइट एमिटिंग साइकोचिप्स ने इंकेन्डेसेंट बल्ब, नियॉन ट्यूब और फ्लूरोसेंट लैम्प का स्थान ले लिया है जो लंबे समय तक चलती है और इसमें कम बिजली खर्च होती है ।
- (iv) ल्यूमन आउटपुट से समझौता करे बिना कम क्षमता वाले इंकेन्डेसेंट लैम्प को उच्च क्षमता वाले फ्लूरोसेंट ट्यूब (सी.एफ.एल.) से बदलना ।

14.0 मुख्य योजना में संशोधन

क्षेत्रीय योजना दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार है । केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मुख्य योजना-2021 में दिसंबर, 2016 तक अधिसूचित किए गए भूमि उपयोग परिवर्तन को अनुलग्नक-III में दर्शाया गया है । दिल्ली मुख्य योजना-2021 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नीति संशोधनों पर भी विचार किया गया है। क्षेत्रीय विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के आधार पर अपने आप अद्यतन मानी जाएगी ।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसी अधिसूचनाओं, जहाँ सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, उन अधिसूचनाओं को क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अंतिम रूप देते समय केंद्र सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना के आधार पर शामिल किया जाएगा ।

15.0 योजना समीक्षा एवं निगरानी (मॉनीटरिंग)

योजना समीक्षा एवं निगरानी यथा समय सुधार के लिए अनिवार्य है । सही प्रकार से चरणबद्ध ढंग से किया गया विकास आने वाली मांगों के लिए योजना को उत्तरदायी बनाती है। योजना का क्रियान्वयन केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उचित अंतरालों में उसकी निगरानी एवं समीक्षा की जाती हो ।

उप क्षेत्रीय योजनाओं की स्थिति

उप जोन	स्थिति	टिप्पणी
डी-1 (कनॉट प्लेस और विस्तार)	अनुमोदित	अप्रैल, 74 में अधिसूचित
डी-2 (माता सुंदरी क्षेत्र)	अनुमोदित	नवंबर, 66 में अधिसूचित
डी-3 (कस्तूरबा गांधी मार्ग)	अनुमोदित	फरवरी, 66 में अधिसूचित । बाद में संशोधनों को दि.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 02.06.84 को अनुमोदित किया गया ।
डी-4 (संसद मार्ग)	अनुमोदित	सितम्बर, 67 में अधिसूचित । बाद में अक्टूबर, 80 में संशोधनों को प्रकाशित किया गया ।
डी-5 (डी.आई.जैड. क्षेत्र)	अनुमोदित	अप्रैल, 67 में अधिसूचित । बाद में अक्टूबर, 80 में संशोधनों को प्रकाशित किया गया ।
डी-6 (ऊपरी रिज क्षेत्र)	प्रारूप	07.11.80 को प्रकाशित । संशोधन प्रारूप को दिनांक 13.03.82 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
डी-7 (पुराना किला)	अनुमोदित	मई, 81 में अधिसूचित
डी-8,9 (इंडिया गेट और केंद्रीय सचिवालय)	अनुमोदित	जनवरी, 83 में अधिसूचित
डी-10 (बुद्ध जयंती पार्क)	अनुमोदित	जनवरी, 83 में अधिसूचित
डी-11,12 (खान मार्किट और अकबर रोड़)	प्रारूप	25.02.67 को प्रकाशित और भारत सरकार के समक्ष दिनांक 13.03.82 को प्रस्तुत किया गया ।
डी-13,14,15,21 (चाणक्यपुरी, सफदरजंग और सरोजिनी नगर)	प्रारूप	25.02.67 को प्रकाशित और भारत सरकार के समक्ष दिनांक 13.03.82 को प्रस्तुत किया गया ।
डी-15,16 (लोधी कॉलोनी)	अनुमोदित	अगस्त, 73 में अधिसूचित
डी-17,18,19,20 (निजामुद्दीन, जंगपुरा, किलोकरी, लाजपत नगर और कोटला मुबारकपुर)	अनुमोदित	दिसम्बर, 73 में अधिसूचित

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूचीबद्ध 'ज़ोन-डी' में संरक्षित स्मारक

क्र.स.	संरक्षित स्मारकों के नाम
1.	खान-ए-खान का मकबरा
2.	बारा पुला
3.	नजफ खान का मकबरा
4.	बारा खान का मकबरा
5.	छोटे खान का मकबरा
6.	भूरे खान का मकबरा
7.	मुबारिक शाह का मकबरा
8.	कोटला मुबारकपुर में मस्जिद
9.	दरिया खान का मकबरा
10.	काले खान का मकबरा
11.	अजमेरी गेट
12.	दिल्ली गेट
13.	खूनी दरवाजा
14.	कोटला फिरोजशाह
15.	जंतर-मंतर
16.	उग्रसेन की बाउली
17.	पुराना किला
18.	शेरशाह गेट और उससे जुड़े हुए अन्य
19.	सर्टेन वॉल्स
20.	खेपुल मंजिल मस्जिद
21.	कोस मीनार (जूलॉजिकल पार्क में)
22.	शिकार गाह (कोशक महल)
23.	लाल बंगला
24.	लक्कड़ वाला मकबरा
25.	सुन्दर वाला बुर्ज
26.	सुन्दर वाला महल
27.	बाबा बताशाह वाला मकबरा
28.	छोटे बताशाह वाला मकबरा
29.	सिकन्दर शाह लोधी का मकबरा

30. लोधी गार्डन (अथपुला) पर पुल
 31. बारा गुम्बद
 32. शीश महल
 33. मोहम्मद शाह मकबरा
 34. सफदरजंग मकबरा
 35. घियासपुर में बाउली
 36. अताह खान का मकबरा
 37. बाराखम्बा
 38. जहांआरा की कब्र
 39. मोहम्मद शाह की कब्र
 40. मिर्जा जहांगीर की कब्र
 41. अमीर खुसरो का मकबरा
 42. निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा
 43. चौंसठ खम्बे
 44. सब्ज़ बुर्ज
 45. बू-हालिमा गार्डन
 46. ईसा खान का मकबरा
 47. ईसा खान की मस्जिद
 48. अफसारवाले मकबरा
 49. अफसारवाली मस्जिद
 50. हुमायूं का मकबरा
 51. नीला गुम्बद
 52. अरब की सराय
-

स्रोत : ए.एस.आई., दिल्ली सर्कल

अनुलग्नक-III

अब तक जारी की गई अधिसूचनाओं के आधार पर क्षेत्रीय योजना में किए गए संशोधन ।

(07.02.2007 से दिसंबर, 2016 तक)

क्र. स.	स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो.-2021)	भूमि उपयोग में परिवर्तन	सीमाएं
1.	उत्तर में रेलवे क्षेत्र से धिरा क्षेत्र	19.53 हैक्टेयर	सरकारी कार्यालय	आवासीय	----
	पूर्व में नेताजी नगर, 24 मी. मार्गाधिकार वाली सड़क और दक्षिण में रिंग रोड का भाग, पश्चिम में शांति पथ (45.72 मी. मार्गाधिकार) (का.आ. 458(ई.) दिनांक 20.03.2007)	1.62 हैक्टेयर	सरकारी कार्यालय	आवासीय	----
2.	कस्तूरबा गांधी मार्ग (कज्जन रोड) (का.आ. 1103(ई.) दिनांक 05.07.2007)	2.328 हैक्टेयर (5.75 एकड़)	आवासीय	सरकारी कार्यालय	उत्तर: सरकारी भूमि दक्षिण: जसवंत सिंह मार्ग (कैनिंग लेन) पूर्व: कस्तूरबा गांधी मार्ग (45.78मी. मार्गाधिकार) पश्चिम: लेडी इरविन स्कूल
3.	राउज एवेन्यू , डीडीयू मार्ग (का.आ . 1907(ई.) दिनांक 12.11.2007)	0.8 हैक्टेयर (2 एकड़)	सरकारी कार्यालय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	पूर्व: सड़क (20 मीटर मार्गाधिकार) पश्चिम: पॉकेट 9 (सरकारी उपयोग) उत्तर: कोटला रोड (30.48 मी. मार्गाधिकार) दक्षिण: दीन दयाल उपाध्याय मार्ग (36.58 मी. मार्गाधिकार)

4.	रेसकोर्स रोड (ज़ोन-डी में 45 मी. मार्गाधिकार वाली सड़क) (का.आ.2187(ई)) दिनांक 27.12.2007)	19668 वर्ग मीटर	सर्कुलेशन/रोड	आवासीय (प्रधानमंत्री का सरकारी निवास)	पूर्व : मनोरंजनात्मक (जिमखाना क्लब) पश्चिम: आवासीय (7 रेसकोर्स रोड कॉम्पलेक्स) उत्तर/पश्चिम : अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग का जंक्शन दक्षिण : क्लब रोड 36.57 मी. मार्गाधिकार
5.	ज़ोन-डी में आई.टी.पी. ओ., प्रगति मैदान (का.आ. 272(ई)) दिनांक 7.02.2008)	12.19 एकड़	'मनोरंजनात्मक'	सरकारी कार्यालय	उत्तर: रेलवे लाइन/मेट्रो स्टेशन । पूर्व और दक्षिण : प्रगति मैदान कॉम्पलेक्स पश्चिम: मथुरा रोड
6.	ज़ोन-डी के बापा नगर में दिल्ली उच्च न्यायालय के समीप (का.आ.274 (ई)) दिनांक 07.02.2008)	(i) 9648 वर्ग मीटर	'आवासीय'	सरकारी कार्यालय / न्यायालय	पूर्व: दिल्ली उच्च न्यायालय पश्चिम: डा0 जाकिर हुसैन मार्ग (45 मी. मार्गाधिकार) उत्तर : वैलेसिली मेस दक्षिण : आवासीय क्वार्टर्स (बापा नगर)
		(ii) 3334 वर्ग मीटर	'आवासीय'	सरकारी कार्यालय / न्यायालय	पूर्व: समीपवर्ती खेल का मैदान / हरित क्षेत्र पश्चिम: दिल्ली उच्च न्यायालय उत्तर : शेर शाह सूरी मार्ग (45.72 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण : आवासीय क्वार्टर्स (बापा नगर)
7.	ज़ोन-डी में राज नगर और सरोजनी नगर के समीप (का.आ. 1134(ई)) दिनांक 14.05.2008)	1.70 हैक्टेयर	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	'आवासीय' (छात्रों के छात्रावास/स्टाफ क्वार्टर)	पूर्व : 24 मीटर मार्गाधिकार पश्चिम : सरोजनी नगर पूर्व: नाला दक्षिण:सफदरजंग अस्पताल स्टाफ क्वार्टर्स
8.	ज़ोन-डी में 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली (का.आ.. 2113(ई)) दिनांक 27.08.2008)	2.58 एकड़ (1.04 हैक्टेयर)	'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं'	'सरकारी कार्यालय'	पूर्व : तिलक मार्ग पश्चिम: प्लॉट सं. 7 उत्तर: सिंकंदरा रोड दक्षिण : कॉलेज आफ आर्ट

9.	ज़ोन-डी में चाणक्यपुरी (का.आ..510(ई) दिनांक 19.02.2009)	0.9666 हैक्टेयर	आवासीय (विदेश मिशन)	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक- सांस्कृतिक)	पूर्व : विद्यमान सड़क और यूएई दूतावास पश्चिम : 24.38 मी. चौड़ी मौजूदा सड़क उत्तर : रूसी दूतावास दक्षिण : बुलारिया का दूतावास
10.	ज़ोन-डी में स्थित इंद्रप्रस्थ एस्टेट (का.आ.. 2471(ई) दिनांक 29.09.2009)	1832.75 वर्ग मीटर	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग	सरकारी कार्यालय	पूर्व : 9 मीटर चौड़ी सड़क और मौजूदा भवन पश्चिम : मौजूदा बिक्री कर भवन परिसर उत्तर : 9 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण : 9 मीटर चौड़ी सड़क और एजी सीआर परिसर
11.	ज़ोन-डी में अलीगंज (जोर बाग) (का.आ. 2632(ई) दिनांक 20.10.2009)	9000 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय	पूर्व : एनडीएमसी टाइप-I क्वार्टर्स और एनडी एमसी सामुदायिक हाल और 15 मीटर मार्गाधिकार (जीपीआरए को जोड़ने वाली सड़क) वाली प्रस्तावित सड़क पश्चिम : डीडीए फ्लैट्स, जोर बाग और बी.के.दत्त कॉलोनी तथा 12 मीटर मार्गाधिकार वाला पहुँच मार्ग उत्तर : 24 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क और लोधी कॉलोनी दक्षिण : अलीगंज की जीपीआरए कॉलोनी (टाइप-IV विशिष्ट और टाइप-V के रूप में पुनः विकास हेतु अनुसूचित मौजूदा टाइप-I क्वार्टर्स ।

12.	योजना ज़ोन-डी में त्यागराज नगर (का.आ. 2261(ई)) दिनांक 29.09.2011)	(i) 780.03 वर्ग मीटर (ii) 6468.20 वर्ग मीटर	आवासीय मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां)	उत्तर: आवासीय (विद्यमान पार्क) दक्षिण और पूर्व : त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पश्चिम : आवासीय (उच्च माध्यमिक विद्यालय) उत्तर: श्री गंगानाथ मार्ग (24.38 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण: चन्दू लाल बाल्मिकी मार्ग और नाला पूर्व : डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम : आवासीय (उच्च माध्यमिक विद्यालय)
13.	योजना ज़ोन-डी में सफदरजंग, नई दिल्ली में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) कार्यालय (का.आ. 46(ई)) दिनांक 09.01.2012)	18557.82 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक	सरकारी (सरकारी कार्यालय) इस शर्त पर कि इस परिसर के लिए विदेशी मिशन हेतु दि.मु.यो. 2021 के अनुसार विकास नियंत्रण लागू होंगे ।	उत्तर : चेक और स्लोवाक दूतावास पूर्व : चेक दूतावास से सटे अकबर भवन से सफदरजंग रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क । दक्षिण : रेलवे ट्रैक पश्चिम : शांति पथ
14.	योजना ज़ोन-डी में पॉकेट-6ए, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली (का.आ. 732(ई)) दिनांक 04.04.2012)	8095.80 वर्ग मीटर	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	उत्तर: डीडीयू मार्ग (36.58 मीटर मार्गाधिकार) दक्षिण : 10.0 मीटर चौड़ी सड़क पूर्व : पॉकेट-6 बी पश्चिम : सूचना बाजार/ रेहड़ी बाजार (1275 वर्ग मीटर)
15.	योजना ज़ोन-डी में मिंटो रोड और डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली के जंक्शन पर पॉकेट-4 (का.आ. 1602(ई)) दिनांक 17.07.2012)	8093.50 वर्ग मीटर (2 एकड़)	'आवासीय'	'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं'	उत्तर: दीन दयाल उपाध्याय मार्ग । दक्षिण : पुराने भवन पूर्व : पॉकेट'4ए पश्चिम : मिंटो रोड

16.	योजना जोन-डी में प्रगति मैदान (का.आ. 1857(ई) दिनांक 26.06.2013)	49.98 हैक्टेयर (123.51 एकड़)	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र)	उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय की भूमि दक्षिण : भैरों मार्ग (60.96 मीटर मार्गाधिकार) पूर्व : रेलवे लाइन पश्चिम : मथुरा रोड (45.0 मीटर मार्गाधिकार)
17.	योजना जोन-डी में आने वाले 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत, गृह मंत्रालय भारत सरकार का प्रस्तावित कार्यालय भवन। (का.आ. 2954(ई) दिनांक 15.09.2016)	3019.5 वर्ग मीटर (0.3019 हैक्टेयर)	आवासीय	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: नौसेना अधिकारियों की मैस दक्षिण : मौजूदा पेट्रोलपम्प और मौजूदा रोड पूर्व : कॉर्पोरेट मंत्रालय का कार्यालय और शाहजहां रोड पश्चिम : मानसिंह रोड
18.	योजना जोन-डी के अंतर्गत आने वाले कर्नल रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली के पास प्रस्तावित कार्यालय भवन। (का.आ. 2086(ई) दिनांक 13.05.2016)	1.40 हैक्टेयर (3.462 एकड़)	आवासीय	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: पंडित रवि शुक्ला मार्ग दक्षिण : राजस्व विभाग को आबंटित खाली पड़ी भूमि और 24 मीटर चौड़े मार्गाधिकार वाला कैनिंग रोड पूर्व : एशिया हाउस पश्चिम : लेडी इरविन स्कूल
19.	योजना जोन-डी में आने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्लॉट सं0 10-बी, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली। (का.आ. 19(ई) दिनांक 01.01.2015)	0.49 हैक्टेयर (1.20 एकड़)	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक सांस्कृतिक)	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: इंद्रप्रस्थ भवन दक्षिण : एनसीईआर, पेरिसिला भवन पूर्व : रिंग रोड पश्चिम : आजाद भवन

20.	क) योजना जोन-डी में आने वाले सराय काले खां, दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) (का.आ. 501(ई)) दिनांक 12.02.2015)	11.71 हैक्टेयर (अर्थात् 11,7091 वर्ग मीटर)	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	परिवहन (दूसरा आईएसबीटी)	उत्तर: निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड दक्षिण : बारापुला नाला पूर्व : रिंग रोड पश्चिम : गाँव सराय काले खां ।
	ख) योजना जोन-डी में आने वाला मिलेनियम बस डिपो (का.आ. 501(ई)) दिनांक 12.02.2015	3.1 हैक्टेयर (31,707 वर्ग मीटर)	सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर)	परिवहन (बस डिपो)	उत्तर: आईएसबीटी. सराय काले खां दक्षिण : बारापुला नाला पूर्व : रिंग रोड पश्चिम : आईएसबीटी, सराय काले खां
21.	योजना जोन-डी में आने वाले जी.प्वाइन्ट, गोल मार्केट के पास डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल का सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल (का.आ. 502(ई)) दिनांक 12.02.2015	0.89 हैक्टेयर (2.20 एकड़)	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (टेरीटरी हेल्थ केयर सेंटर)	उत्तर: प्रेसिडेंशियल एस्टेट क्वार्टर और 9 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क दक्षिण : अक्षरा थियेटर और बाबा खडग सिंह मार्ग पूर्व : मौजूदा स्कूल पश्चिम : मौजूदा डॉ. आर. एम.एल.अस्पताल
22.	जोन-डी योजना में आने वाले बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए. आई) मुख्यालय भवन । (का.आ. 1370(ई)) दिनांक 21.05.2015)	4447.49 वर्ग मीटर (1.099 एकड़)	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: विदेश संचार भवन की इमारत दक्षिण : सड़क और जीसस मैरी कन्वेंट स्कूल का पूर्व : बेयर्ड रोड और बंगला साहिब रोड । पश्चिम : सर्विस रोड
23.	योजना जोन-डी में आने वाले जे.एल.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली को जाने वाले रोड पर स्थित सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स की दूसरी ओर प्रस्तावित राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एन. आई.ए.) मुख्यालय की इमारत । (का.आ. 1412(ई)) दिनांक 25.05.2015)	4191 वर्ग मीटर (1.0356 एकड़)	दि.मु.यो. 2021 के अनुसार "आवासीय" दि.मु.यो. 2021 के अंतर्गत तैयार की गई जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार अनुमोदित (पराटर्मिनल)	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: दि.ज.बो. प्रगति विहार पम्पिंग स्टेशन दक्षिण : एल. एण्ड डी.ओ. और 13.5 मी. चौड़ी सड़क पूर्व : जे.एल.एन. स्टेडियम मार्ग (45.0 मीटर चौड़ा) पश्चिम : आवासीय स्टाफ क्वार्टर और मौजूदा ट्विन बैरल

24.	योजना जोन-डी में आने वाले जे.एल.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली को जाने वाले रोड पर स्थित सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स के सामने नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का प्रस्तावित 'अक्षय ऊर्जा भवन' का.आ. 1492 (ई) दिनांक 25.4.2016	1.2 हैक्टेयर (2.76 एकड़)	दि.मु.यो. 2021 के अनुसार "आवासीय" दि.मु.यो.-2021 'यातायात' (बस टर्मिनल) के अंतर्गत तैयार जोन-डी की जोनल योजना के अनुसार अनुमोदित	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: दयाल सिंह कॉलेज दक्षिण : 13.5 मार्गाधिकार वाला रोड और प्रगति विहार हॉस्टल । पूर्व : राष्ट्रीय जॉच एजेंसी की भूमि पश्चिम : लोधी रोड कॉम्प्लेक्स और पार्क
25.	योजना जोन-डी में आने वाले जनपथ, नई दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल 1714 (का.आ. 1714(ई) दिनांक 12.05.2016	7.76 एकड़ (3.14 हेक्टेयर)	सरकारी कार्यालय	आवासीय (गेस्ट हाउस)	उत्तर: थापर हाउस और पेट्रोल पम्प दक्षिण : होटल जनपथ पूर्व : जनपथ रोड और इस्टर्न कोर्ट पश्चिम : जनपथ लेन और केरला हाउस
26.	योजना जोन-डी के अंतर्गत आने वाले हुमायूँ मकबरे के साथ स्थित सुंदर नर्सरी से संबंधित क्षेत्र (का.आ.1900(ई) दिनांक 26.05.2016	17.0 हैक्टेयर	कृषि/हरित पट्टी और जलाशय (पौधशाला)	मनोरंजानात्मक (जिला पार्क)	उत्तर: प्राणि उद्यान दक्षिण : स्मारक और हुमायूँ का मकबरा पूर्व : भारत स्काउट्स गाइड मैप ग्राउंड/रिंग रोड पश्चिम : दिल्ली पब्लिक स्कूल और मथुरा रोड
27.	योजना जोन-डी में आने वाले प्रगति मैदान, नई दिल्ली के सामने स्थित भैरो मंदिर रोड पर म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री (एनएमएनएच) हेतु प्रस्तावित भवन । (का.आ. 2085(ई) दिनांक 13.06.2016	6.5 एकड़ (2.63 हैक्टेयर)	मनोरंजानात्मक (जिला पार्क)	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	उत्तर: प्रगति मैदान बस मंत्रालय दक्षिण : चिड़ियाघर का क्षेत्र और शीतल चंडी काली मंदिर पूर्व : रेलवे लाइन और हरित क्षेत्र पश्चिम : पुराना किला स्मारक की दीवार और भैरों मंदिर

28.	योजना जोन-डी में आने वाले मोती बाग, नई दिल्ली में स्थित होटल लीला से सटा प्लॉट (का.आ. 2048(ई) दिनांक 27.07.2015	7830 वर्ग मीटर (0.78 हेक्टेयर)	परिवहन (रेल परिचालन)	आवासीय	उत्तर: मौजूदा रेलवे ट्रैक दक्षिण : एल.एण्ड डी.ओ द्वारा विकसित किया गया भूदृश्यांकित हरित क्षेत्र और होटल लीला पैलेस पूर्व : अफ्रीका एवेन्यू रोड पश्चिम : मौजूदा पहुंच मार्ग
29.	मोती बाग फ्लाई ओवर, नई दिल्ली के पास स्थित रेलवे ट्रैक से सटे शांति पथ पर प्रस्तावित मल्टी स्पेशलिटी चरक पालिका अस्पताल (का.आ.3006(ई), दिनांक 20.09.2016	0.28 हेक्टेयर (2800 वर्ग मीटर)	आवासीय	सार्वजनिक और अध-सार्वजनिक सुविधाएं (पी.एस.1: अस्पताल)	उत्तर: रेलवे ट्रैक, मोती बाग के साथ-साथ, दक्षिण : पशु चिकित्सालय, मोती बाग पूर्व : एन.डी.एम.सी. क्वार्टर्स, पूर्वी मोती बाग पश्चिम : शांति पथ, मोती बाग के निकट फ्लाईओवर
30.	योजना जोन-डी में आने वाले पॉकेट-III, राउज एवेन्यू नई दिल्ली में स्थित चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू (क्राई) हेतु प्लॉट । (का.आ.3493(ई) दिनांक 21.11.2016	1015 वर्ग मीटर	आवासीय	सार्वजनिक और अध-सार्वजनिक सुविधाएं	उत्तर: जहांगीर रोड दक्षिण : एल. एण्ड डी.ओ. द्वारा सीपीआई (एम) को आबंटित प्लॉट पूर्व : 20 मीटर चौड़ी सड़क (प्रस्तावित) पश्चिम : डिस्पेंसरी